दिनांक 31.07.2025
प्रेस विज्ञप्ति 47/2025

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश

पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 द्वारा पुलिस कर्मियों के आश्रित परिजनों को पुलिस सैलरी पैकेज के अन्तर्गत चेक प्रदान किया गया।

श्री राजीव कृष्णा, पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 द्वारा आज दिनॉकः 31.07.2025 को मृत उ0नि0 चमन सिंह, मुख्य आरक्षी राजकुमार, आरक्षी कन्हैया लाल सोनकर एवं आरक्षी शिवा शुक्ला के शोक संतप्त आश्रित परिजनों को बैंक ऑफ बड़ौदा, पुलिस सैलरी पैकेज (PSP) के अंतर्गत धनराशि के रूप में चेक प्रदान किया गया।

बैंक ऑफ बड़ौदा द्वारा मृत उ0नि0 चमन सिंह, मुख्य आरक्षी राजकुमार, आरक्षी कन्हैया लाल सोनकर एवं आरक्षी शिवा शुक्ला के परिजनों को पुलिस सेलरी पैकेज (PSP) के अंतर्गत 01 करोड़ 70 लाख रूपये के चेक प्रदान किये गये। मृत पुलिस कर्मियों का विवरण निम्नवत हैः–

- उ0नि0 चमन सिंह जनपद रायबरेली में नियुक्त थे, डियूटी के दौरान गश्त से वापस आते समय उनके वाहन में चार पहिया वाहन द्वारा टक्कर मारने से दिनांकः 12.02.2025 को मृत्यु हो गयी।
- मुख्य आरक्षी राजकुमार जनपद मुरादाबाद में नियुक्त थे, गश्त डियूटी के दौरान उनकी मोटर साइकिल में ट्रक द्वारा टक्कर मारने के कारण दिनांकः 12.02.2025 को मृत्यु हो गयी।
- आरक्षी कन्हैया लाल सोनकर जनपद गोरखपुर में नियुक्त थे, डियूटी के दौरान मोटर साईकिल द्वारा टक्कर मारने से दिनांकः 02.01.2025 को मृत्यु हो गयी।
- आरक्षी शिवा शुक्ला 12वीं बटालियन पीएसी फतेहपुर में नियुक्त थे, गंगा स्नान करते समय साथी को डूबने से बचाने के प्रयास में डूब जाने से दिनांकः 14.03.2025 को मृत्यु हो गयी।

इस अवसर पर श्री आनन्द स्वरूप पुलिस महानिदेशक पीएचक्यू, श्री एन0 रविन्दर अपर पुलिस महानिदेशक/पुलिस महानिदेशक के जीएसओ, श्री आर0के0 भारद्वाज पुलिस महानिरीक्षक पुलिस भवन कल्याण, श्री शैलेन्द्र कुमार सिंह, महाप्रबन्धक एवं श्री कमलेश राठौर, उप महाप्रबन्धक बैक ऑफ बड़ौदा सहित अन्य अधिकारीगण उपस्थित रहें।

बैंक ऑफ बड़ौदा
Bank of Baroda
CBS
D D M M Y Y Y Y
Or Bearer
या धारक को
Pay चमन सिंह (एस.आई.) रायबरेली
Rupees रुपये एक करोड़ सत्तर लाख मात्र
₹ 1,70,00,000/-
BANK OF BARODA
Please Sign Above
खा.सं. A/c No. XXXXXXXXXXXXXX

बैंक ऑफ बड़ौदा
Bank of Baroda
CBS
D D M M Y Y Y Y
Or Bearer
Pay राज कुमार (हेड कांस्टेबल) मुरादाबाद
Rupees रुपये एक करोड़ सत्तर लाख मात्र
₹ 1,70,00,000/-
BANK OF BARODA
खा.सं. A/c No. XXXXXXXXXXXXXX

बैंक ऑफ़ बड़ौदा
Bank of Baroda
CBS
D D M M Y Y Y Y
Or Bearer
या धारक को
Pay कन्हैया लाल सोनकर (कांस्टेबल) गोरखपुर
Rupees रुपये एक करोड़ सत्तर लाख मात्र
अदा करें
₹ 1,70,00,000/-
BANK OF BARODA
Please Sign Above
खा.सं. A/c No.
XXXXXXXXXXXXX
II"000000II" 000000000 I 0000 I : 0000000" 00

बैंक ऑफ़ बड़ौदा
Bank of Baroda
CBS
D D M M Y Y Y Y
Or Bearer
या धारक को
Pay शिवा शुक्ला (कांस्टेबल) पीएसी फ़तेहपुर
Rupees रुपये एक करोड़ सत्तर लाख मात्र
अदा करें
₹ 1,70,00,000/-
BANK OF BARODA
Please Sign Above
खा.सं. A/c No.
XXXXXXXXXXXXX
II"000000II" 000000000 I 0000 I : 0000000" 00

दिनांक 31.07.2025
प्रेस विज्ञप्ति 48/2025

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

अधिवर्षता आयु पूर्ण कर सेवानिवृत्त होने वाले आई0पी0एस0 अधिकारी का विदाई समारोह

श्री राजीव कृष्णा, पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 द्वारा आज दिनॉकः 31.07.2025 को पुलिस मुख्यालय में आयोजित विदाई समारोह के दौरान अधिवर्षता आयु पूर्ण कर सेवानिवृत्त होने वाले अधिकारी श्री बिजय कुमार मौर्या, पुलिस महानिदेशक, होमगार्ड्स, उ0प्र0 लखनऊ को स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया गया।

कार्यक्रम के दौरान श्री पियूष आनन्द, पुलिस महानिदेशक एन0डी0आर0एफ0, श्रीमती तिलोत्तमा वर्मा पुलिस महानिदेशक प्रशिक्षण, श्री आलोक शर्मा, पुलिस महानिदेशक एन0एस0जी0, श्री बिनोद कुमार सिंह, अपर पुलिस महानिदेशक साइबर क्राइम एवं श्री प्रशान्त कुमार, अपर पुलिस महानिदेशक प्रशासन द्वारा अपने संबोधन में श्री विजय कुमार मौर्या जी के सेवाकाल से सम्बन्धित संस्मरणो को साझा किया गया तथा उनके व्यक्तित्व की बड़ाई करते हुये सेवाकाल के दौरान किये गये सराहनीय कार्यों का उल्लेख किया गया। साथ ही उनके साथ बिताये हुये पलों का उल्लेख करते हुये उनके उज्जवल भविष्य की कामना की गयी।

श्री धर्मवीर, पुलिस महानिरीक्षक होमगार्ड द्वारा कार्यक्रम के दौरान अपने संबोधन में श्री बिजय कुमार मोर्या के द्वारा होमगार्ड विभाग में तैनाती के दौरान किये गये कार्यों का उल्लेख करते हुये कहा कि सर की तैनाती के दौरान होमगार्ड विभाग में आमूलचूल परिवर्तन हुआ है। उनके द्वारा सम्पूर्ण होमगार्ड विभाग को पूर्णतः डिजिटलीकरण कराया गया। होमगार्डों की डियूटी, उपस्थिति, वेतन एवं व्यक्तिगत विवरण से लेकर प्रत्येक अभिलेख को आनलाइन कराने से समस्त कार्य पूर्ण पारदर्शिता के साथ सम्पादित हो रहे हैं। होमगार्डों के प्रशिक्षण की दशा को सुधारते हुये प्रशिक्षण हेतु पर्याप्त स्थान उपलब्ध करवाया गया तथा नये प्रशिक्षण केन्द्र खुलवाये गये साथ ही होमगार्डों को प्रत्येक वर्ष वर्दी भत्ता दिलवाया गया। पूरे प्रदेश में जहां भी होमगार्डों के लिये कार्यालय की व्यवस्था नहीं थी वहां कार्यालय की व्यवस्था करायी गयी तथा पुराने कार्यालयों का रिनोवेशन कराया गया।

श्री बिजय कुमार मौर्या जी द्वारा अपने सम्बोधन में कहा गया कि पुलिस विभाग ज्वाइन करना उनके लिये बहुत सौभाग्य की बात थी। उन्होने अपने पुलिस विभाग के सम्पूर्ण कार्यकाल को बहुत अच्छा बताया तथा कहा कि वह अपने कार्यकाल से पूर्णतः संतुष्ट हैं। अन्त में अपने संबोधन में उनके द्वारा पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 सहित कार्यक्रम में उपस्थित सेवानिवृत्त एवं कार्यरत पुलिस अधिकारियों के साथ–साथ पुलिस परिवार व उ0प्र0 पुलिस के अपने बैचमेट एवं कनिष्ठो का आभार व्यक्त किया गया।

श्री राजीव कृष्णा, पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 द्वारा कार्यक्रम के अन्त में अपने संबोधन में श्री बिजय कुमार मौर्या जी द्वारा कार्यकाल के दौरान किये गये कार्यों की सराहना करते हुये उनके सरल व्यक्तित्व की प्रशंसा की गयी। साथ ही यह भी कहा कि श्री बिजय कुमार जी द्वारा होमगार्ड विभाग को आज जिस मुकाम पर पहुॅचा दिया है वह उनके सकारात्मक एवं बेहतर सोच के बगैर सम्भव नहीं हो सकता था। अंत में पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 द्वारा उज्जवल भविष्य की कामना करते हुये उम्मीद की गयी कि उनके अनुभवों का लाभ पुलिस परिवार को सदैव मिलता रहेगा।

श्री बिजय कुमार मौर्या जी का जन्म 10 जुलाई 1965 को जनपद वाराणसी में हुआ था, जो 1990 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं। 'भारतीय पुलिस सेवा' में चयनित होकर प्रशिक्षणोपरान्त सहायक पुलिस अधीक्षक मुरादाबाद, अपर पुलिस अधीक्षक बरेली, पुलिस अधीक्षक यातायात गाजियाबाद, पुलिस अधीक्षक जनपद बाराबंकी, अम्बेडकरनगर, पुलिस अधीक्षक यूएन मिशन कोसोवो, पुलिस अधीक्षक(प्रशिक्षण एवं सुरक्षा) लखनऊ, पुलिस अधीक्षक रेलवे लखनऊ, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद फैजाबाद, बरेली, अलीगढ़, मुजफ्फरनगर, आगरा, गोरखपुर, सेनानायक, 44वीं वाहिनी पीएसी मेरठ, 36वीं वाहिनी पीएसी वाराणसी एवं 45वीं वाहिनी पीएसी अलीगढ़ के पद पर नियुक्त रहे। वर्ष 2005 में 'पुलिस उपमहानिरीक्षक' के पद पर प्रोन्नत होने के उपरान्त पुलिस उपमहानिरीक्षक आजमगढ़ परिक्षेत्र, सहारनपुर परिक्षेत्र, मेरठ परिक्षेत्र, पुलिस उपमहानिरीक्षक डॉ0 भीमराव आम्बेडकर पुलिस अकादमी मुरादाबाद, पुलिस उपमहानिरीक्षक इन्टर स्टेट बॉर्डर फोर्स मुख्यालय, लखनऊ एवं पुलिस उपमहानिरीक्षक पीएसी सेक्टर आगरा के पद पर नियुक्त रहे। वर्ष 2007 में केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति पर प्रस्थान कर गये। वर्ष 2015 में केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति से वापस आने के फलस्वरूप अपर पुलिस महानिदेशक प्रशिक्षण लखनऊ, अपर पुलिस महानिदेशक रेलवे लखनऊ एवं अपर पुलिस महानिदेशक लॉजिस्टिक्स लखनऊ के पद पर नियुक्त रहे। वर्ष 2021 में 'पुलिस महानिदेशक' के पद पर प्रोन्नत होने के उपरान्त

पुलिस महानिदेशक लॉजिस्टिक्स के पद पर नियुक्त रहे। वर्तमान में पुलिस महानिदेशक, होमगार्ड्स, लखनऊ के पद पर नियुक्त हैं, जहाँ से आज अपनी अधिवर्षता आयु पूर्ण कर सेवानिवृत्त हो रहे हैं।

श्री बिजय कुमार मौर्या जी निष्ठावान, कर्मठ एवं सरल स्वभाव के सुयोग्य अधिकारी रहे हैं। आपका 33 वर्षों से अधिक का सेवाकाल अत्यन्त सराहनीय रहा है।

श्री बिजय कुमार मौर्या जी को वर्ष 2000–2001 के लिये अनमिक पदक, स्वतन्त्रता दिवस 2007 के अवसर पर दीर्घ एवं सराहनीय सेवाओं के लिये पुलिस पदक, गणतन्त्र दिवस 2015 के अवसर पर विशिष्ट सेवाओं के लिये राष्ट्रपति का पुलिस पदक, स्वतंत्रता दिवस 2019 के अवसर पर पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 का प्रशंसा चिन्ह(सिल्वर), स्वतंत्रता दिवस 2020 के अवसर पर पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 का प्रशंसा चिन्ह(गोल्ड), स्वतंत्रता दिवस 2021 के अवसर पर पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 का प्रशंसा चिन्ह(प्लेटिनम) एवं स्वतन्त्रता दिवस 2024 के अवसर पर अति उत्कृष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया गया है।

आगरा जोन

उत्तर प्रदेश
आगरा

उत्तर प्रदेश
आगरा

दिनांक 31.07.2025
प्रेस विज्ञप्ति 49/2025

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

विधि विज्ञान प्रयोगशाला कन्नौज को मिला ISO 9001:2015 Quality Management System प्रमाण पत्र

श्री राजीव कृष्णा पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 के निर्देशन, अपर पुलिस महानिदेशक, तकनीकी सेवाएं के मार्गदर्शन एवं निदेशक विधि विज्ञान प्रयोगशाला उ०प्र० के पर्यवेक्षण में विधि विज्ञान प्रयोगशाला कन्नौज को उत्तर प्रदेश में प्रथम बार दिनांक 30.07.2025 को PROVIDING SERVICE OF FORENSIC EXAMINATION, ANALYSIS AND REPORTING OF FORENSIC EVIDENCE TO THE JUDICIARY AND LAW ENFORCEMENT AGENCIES की सेवाएं प्रदान किये जाने हेतु ISO 9001:2015 Quality Management System प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ है। यह विधि विज्ञान प्रयोगशालाओं की गुणवत्ता उत्तम बनाये जाने की दिशा में बहुत ही सराहनीय कदम है।

विधि विज्ञान प्रयोगशाला कन्नौज यह गौरव प्राप्त करने वाली प्रदेश में पहली प्रयोगशाला है, जो निश्चित रूप से अति महत्वपूर्ण उपलब्धि है।

CERTIFICAT*CERTIFICATE*СЕРТИФИКАТ*CERTIFICATO*SERTIFIKAT

HAWK EYE
Certifications

CERTIFICATE

This is to Certify that the Quality Management System of

FORENSIC SCIENCE LABORATORY, KANNAUJ

FORENSIC SCIENCE LABORATORY, TALGRAM
KANNAUJ, UTTAR PRADESH- 209731 (INDIA)

has been audited and found to comply with the requirements of:

ISO 9001:2015
Quality Management System

For the scope of activities described below:

PROVIDING SERVICE OF FORENSIC EXAMINATION, ANALYSIS AND REPORTING OF FORENSIC EVIDENCE TO THE JUDICIARY AND LAW ENFORCEMENT AGENCIES.

IAF Code:35

Certificate Number: **EGQ/2507FC/3535**
Initial Date of Certification: **30.07.2025**
Date of Certificate: **30.07.2025**
Date of Expiry: **29.07.2028**

1st Surv. Due on: **29.06.2026**
2nd Surv. Due on: **29.06.2027**

MEMBER OF MULTILATERAL RECOGNITION ARRANGEMENT IAF

المجلس الوطني للاعتماد
EGAC
Accredited
QMS Certification
CAB # 012212

Director:

Date: **30.07.2025**

Validity of this certificate is subject to successful completion of surveillance audit on or before due date, in case surveillance audit not conducted this certificate shall be suspended/cancelled.
For verification and updated information concerning the present certificate visit to www.thehawk-eye.com
This Certificate is the property of Hawk Eye Certifications Pvt. Ltd. and shall be returned immediately when demanded.

Hawk Eye Certifications Private Limited
Wave Silver Tower, Shop No. 422, 4th Floor, Sector-18, Noida-201301 U.P (INDIA).
www.thehawk-eye.com
email: admin@thehawk-eye.com

दिनांक 31.07.2025
प्रेस विज्ञप्ति 50/2025

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

जनपद मुजफ्फरनगर/थाना चरथावल

- **पुलिस कार्यवाही में 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस**
- **01 मोटर साइकिल (बिना नम्बर प्लेट) आदि बरामद**

दिनांक 30/31.07.2025 को थाना चरथावल व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर रजवाहे पुलिया के पास चेकिंग के दौरान मोटर साइकिल सवार बदमाश को रोकने का प्रयास किया गया तो बदमाश ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गई आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में अभियुक्त प्रवीण उर्फ कक्कू घायल हो गया, जिसे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस, 01 मोटर साइकिल (बिना नम्बर प्लेट) आदि बरामद हुए। घायल को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है, जिसके विरूद्ध जनपद सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बरेली, चण्डीगढ़ व हरियाणा प्रान्त के विभिन्न थानो में हत्या, हत्या का प्रयास, डकैती, लूट, चोरी, गैंगेस्टर एक्ट, आर्म्स एक्ट आदि के 19 अभियोग पंजीकृत है। गिरफ्तार अभियुक्त थाना कोतवाली जनपद शामली में पंजीकृत अभियोग में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना चरथावल पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–प्रवीण उर्फ कक्कू निवासी ग्राम भूरा थाना कैराना जनपद शामली।

बरामदगी

1–01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस।

2–01 मोटर साइकिल (बिना नम्बर प्लेट) आदि।

कमिश्नरेट कानपुर नगर/थाना महाराजपुर

- **पुलिस कार्यवाही में 03 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **भारी मात्रा में लूट के (पीली–सफेद) धातु के आभूषण**
- **लूट के 11 हजार 500 रूपये नगद**
- **लूट का 01 मोबाइल फोन सहित 04 मोबाइल फोन**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस**
- **घटना में प्रयुक्त 01 दो पहिया वाहन आदि बरामद**

दिनांक 31.07.2025 को थाना महाराजपुर व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर पुलिस कार्यवाही में 03 अभियुक्तों 1–राहुल 2–राज 3–भारत को गिरफ्तार कर घटना का अनावरण किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से भारी मात्रा में लूट के (पीली–सफेद) धातु के आभूषण, लूट के 11 हजार 500 रूपये नगद, लूट का 01 मोबाइल फोन सहित 04 मोबाइल फोन, 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस, घटना में प्रयुक्त 01 दो पहिया वाहन आदि बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि दिनांक 28.07.2025 को थाना महाराजपुर क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात बदमाशों द्वारा लूट की घटना कारित की गई थी, जिसके सम्बन्ध में थाना महाराजपुर पर अभियोग पंजीकृत कर घटना के अनावरण के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद आभूषण, रूपया आदि लूट की घटना से सम्बन्धित है।

इस सम्बन्ध में थाना महाराजपुर पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–राहुल निवासी सफेद कॉलोनी किदवाई नगर कमिश्नरेट कानपुर नगर।

2–राज निवासी जी ब्लाक टीपी कॉलोनी, किदवई नगर कमिश्नरेट कानपुर नगर।

3–भारत बारादेवी मन्दिर के पास थाना जूही कमिश्नरेट कानपुर नगर।

बरामदगी

1–भारी मात्रा में लूट के (पीली–सफेद) धातु के आभूषण।

2–लूट के 11 हजार 500 रूपये नगद।

3–लूट का 01 मोबाइल फोन सहित 04 मोबाइल फोन।

4–01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस।

5–घटना में प्रयुक्त 01 दो पहिया वाहन आदि।

- **जनपद आजमगढ़/थाना बिलरियागंज (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा 02 अभियुक्तों को सश्रंम आजीवन कारावास की सजा व अर्थदण्ड)**

जनपद आजमगढ़ पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद आजमगढ़ द्वारा थाना बिलरियागंज पर पंजीकृत अभियोग में अभियुक्त 1–राजीव कुमार को धारा 302/34/323 भादवि व 3/25/27 आर्म्स एक्ट के अन्तर्गत सश्रम आजीवन कारावास व 01 लाख 01 हजार 500 रूपये अर्थदण्ड एवं अभियुक्त 2–सत्य नारायन को धारा 302/34/323 भादवि व 30 आर्म्स एक्ट के अन्तर्गत सश्रम आजीवन कारावास व 01 लाख 01 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **जनपद अमरोहा/थाना बछरायूं (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा 02 अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा व 50–50 हजार रूपये अर्थदण्ड)**

जनपद अमरोहा पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद अमरोहा द्वारा थाना बछरायूं पर पंजीकृत अभियोग में धारा 302/394 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त 1–जाकिर 2–जर्रार अली को आजीवन कारावास व 50–50 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

➢ **<u>जनपद हरदोई/थाना हरियावां (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को सश्रंम आजीवन कारावास की सजा व 20 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद हरदोई पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद हरदोई द्वारा थाना हरियावां पर पंजीकृत अभियोग में धारा 302 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त रामसागर उर्फ कल्लू को सश्रम आजीवन कारावास व 20 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

➢ **<u>जनपद मऊ/थाना मधुवन (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा व 11 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद मऊ पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद मऊ द्वारा थाना मधुवन पर पंजीकृत अभियोग में धारा 302/201 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त रामानन्द को आजीवन कारावास व 11 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

➢ **<u>कमिश्नरेट वाराणसी/थाना बड़ागांव (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा व 30 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

कमिश्नरेट वाराणसी पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय वाराणसी द्वारा थाना बड़ागांव पर पंजीकृत अभियोग में धारा 6 पॉक्सो एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त विशाल को 20 वर्ष के कठोर कारावास व 30 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

———————